संख्या-198/2025/I/923895/2025/23-11099(099)/179/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 30-03-2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेल उपरिगामी सेतु निर्माण के चालू कार्यो पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-12984/CE-SEB/ROB/BAR/2024-25, दिनांक 25-03-2025, पत्र संख्या-12985/CE-SEB/ROB/ADY/2024-25, दिनांक 25-03-2025, पत्र संख्या-12990/CE-SEB/ROB/MIR/2024-25, दिनांक 25-03-2025, पत्र संख्या-13065/CE-SEB/ROB/VNS/2024-25, दिनांक 27-03-2025, पत्र संख्या-13078/CE-SEB/ROB/BAS/2024-25, दिनांक 28-03-2025 एवं पत्र संख्या-13096/CE-SEB/ROB/AGR/2024-25, दिनांक 29-03-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल उपरिगामी सेतु निर्माण के अधोलिखित तालिका में अंकित 07 चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 5649.98 लाख (रूपये छप्पन करोड़ उन्चास लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	सेतु अंश/बचत/ प्रावैधिक लागत अथवा बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि		
					अनु0 सं0-57	अनु0 सं0-83	योग
1	जनपद पीलीभीत में पीलीभीत बस्ती मार्ग के कि0मी0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि0मी0 372 तक पीलीभीत बाईपास के निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2680.60	2680.60 2678.18 Nil 2678.18	2538.70	109.90	29.58	139.48
2	जनपद पीलीभीत में पीलीभीत-बस्ती मार्ग के कि0मी0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि0मी0 372 तक पीलीभीत बाईपास के निर्माण में पीलीभीत-टनकपुर रेल खण्ड के चैनेज 9/5 एवं 9/6 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2490.48	2441.99 2441.99 NIL 2441.99	2282.02	126.04	33.93	159.97
3	जनपद बाराबंकी में उत्तर रेलवे के बाराबंकी सेक्शनके दरियाबाद-सैदखानपुर रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित सम्पार संख्या-156ए/3-टी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य।	4465.40	3503.75 3503.75 0.02 3503.73	2102.24	966.20	260.10	1226.30

http://shasanadesh.up.nic.in

4	जनपद मीरजापुर में उत्तर मध्य रेलवे के डी0एफ0सी0सी0 मार्ग पर प्रयागराज-पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर रेल सेक्शन के गयपुरा यार्ड के सम्पार सं0-12बी (कि0मी0 755/19-21) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6096.18	4523.19 4357.74 Nil 4357.74	4139.85	171.68	46.21	217.89
5	जनपद गाजीपुर में पूर्वोत्तर रेलवे औडिहार-गाजीपुर रेल खण्ड में चन्दगंज-तरांव रेलवे स्टेशन के मध्य रेल सम्पार सं0-12स्पेशल कि0मी0 148/3-4 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	4636.26	3100.07 3100.07 Nil 3100.07	1085.02	854.89	230.13	1085.02
6	जनपद बस्ती में पूर्वोत्तर रेलवे के कि0मी0 567/8-9 पर बस्ती-ओडवारा स्टेशन के मध्य स्थित सम्पार संख्या-198बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6311.21	4598.13 4597.03 NIL 4597.03	1609.34	1267.70	341.26	1608.96
7	जनपद मथुरा में एन0एच0-19 (दौताना मार्ग से नंदगांव-बरसाना मार्ग पर मथुरा-पलवल रेल सेक्शन के कि0मी0 1433/ 2022 पर स्थित सम्पार सं0-546 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5516.23	3940.84 3764.80 Nil 3764.80	1379.29	955.20	257.16	1212.36
	योग:-				4451.61	1198.37	5649.98

<u>नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल/पुनरीक्षित शासनादेश की समस्त शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.u

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रू0 44,51,61,000 (रूपये चौव्वालिस करोड़ इक्यावन लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010516 रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 11,98,37,000 (रूपये ग्यारह करोड़ अट्ठानबे लाख सैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891500 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओ का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
12- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
14- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
15- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
17- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in